

का निर्यत किया। पत्रावली पर उपलब्ध
टोपल रैण्ड का अवलोकन किया गया।
मुँकि उक्त तलाक़ा से संबंधित हैं। अतः
श्रीमती तहसीलदार उर्देल से विस्तृत
विभाजन उस्ताव मंगवाना न्याय संगत
उतीर होता है।

अतः उक्त में आरम्भिक डिफ़रेंस इस
आशय की जारी की जाती है कि तहसीलदार
उर्देल वादग्रस्त आराजी ख. नं. 821, 822
रकबा 1.31 है. खं ख. नं. 1012, 1013 रकबा
1.28 है. तन ग्राम लाखी तहसील उर्देल
का विवक्षित पदाकारन को सूचित करते
हूए उनकी उपस्थिति में मौका- निरीक्षण
का वर्तमान कब्जाकारत एवं "बहि मीदस
एंड वाउण्डस" के सिद्धांत के आधा पर
पुबक-पुबक लगान कायम काट गिन
बडा नम्बर डालकर नक्शा रैल में तप्रीफ
करते हूए विस्तृत विभाजन उस्ताव तैयार
कवाकर उक्त में नियत आगामी तारीख
पेशी दिनांक 29/11/18 से पूर्व न्यायालय
को आवश्यक रूप से भिजवाये। बाहरे जफ
होते विस्तृत विभाजन उस्ताव मिलत दिनांक
29/11/18 को पेशा हो।

अमीर खान शाह
(RAS)
न्यायालय कलक्टर
(बाल्ट ड्रेक) उर्देल

नफील बदीगाव द्वारा जारी पत्र मिलत तलबी
र काते पर पत्रावली रकबाही पेशी दिनांक

धरमलाल

विभाजन

विभाजन

विभाजन

विभाजन

विभाजन

विभाजन

विभाजन

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

जैसे पूर्व आज तलब की गई। पूर्व में तहसीलदार
 छठेला से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव को
 अभिलेख पर लिया जाता है। वकील वादीगण
 ने हाजिर होकर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से
 सहमति जहीर करते हुए मुताबिक विस्तृत विभा
 जन प्रस्ताव प्रकाश में अंतिम डिक्री जारी किये
 जाने का निर्देश किया।



पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड्स
 प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत
 विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया
 चूंकि विवादीत पक्षकार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव
 से सहमत हैं। अतः वादीगण का वाद मुताबिक
 विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये
 जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री
 का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव
 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दायम है। बैंक राज
 मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव दर्ज हो तब
 तदनुसार प्रकाश में फर्मा डिक्री सुतीब जारी हो
 पत्रावली फेसल रुमाए होकर नम्बर से कम हो
 तम्बा काद तजमील बाबिल दफ्तर हो। निरि
 छुल न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/19
 वाकील
 (रिजि)
 साहायक कलम
 (फास्ट ट्रेक) स. 3/24

डिक्री मुकदमा इव्लदाई

(ओ. 20 रुल 6-7 जायदा दीवानी)

अज अदालत सहायक मलेक्ट फास्ट ट्रेक मुकदमा छडेला
 न इजलास श्री भागीरथ शाख, RAS

① लाटाम * क्वाम ② घडा *

दावा वाकत घौषणा, च्याई निषेधना व वंटावा

मुकदमा नं. 66 तम 2018

यह मुकदमा आज वारत इनाफिसाल कतइ रुवरु श्री भागीरथ शाख, RAS

व हाजिरी श्री वनवारी लाल जांगू गिनजानिय मुकद रुवरु श्री वपन्त कुमार वर्मा

गिनजानिय मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वदीगता का वाद मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अंतिम नपैठ डिक्री
किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा।
मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकोर्ड में समल व (मद हो।

अज गुबलिनग नमदत
 खर्चा इस मुकदमे के भय सूद नशरह फीसदीना आज की तारीख से
 तारीख अदायगी तक का अदा करे।

नसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 01 तम 2019 को जारी की गई।

भागीरथ शाख
ओवर
(RAS)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह (सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक) का इतरुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प नकालत नामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक	
मुताफरिक				
मीजान			मीजान	

नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फर्रीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

- ※ ② लिखमण
 ③ अमासिंह
 ④ रामेश्वर
 ⑤ शंकर पुत्रगण सेडिया
 ⑥ नानू पुत्र जाणण
 समस्त जाति जाट नि. लाखनी तहसील खण्डेला जिला
 सीकर राज.
 - वादीगण



बनाम

- ※ ② अरुण पुत्रगण मंगलात्म जाति जाट नि. लाखनी
 तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.
 ③ पंजाब नेशनल बैंक शाखा वाकडी जीए प्रबंधक।
 ④ सिडिकॉट बैंक शाखा रींगस जीए प्रबंधक।
 ⑤ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज।
 - उतिवादीगण

13/1/19

भागीरथ
 सहायक
 फिस्ट